-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 05.02.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप वर्ष-2013 में थाना बिसण्डा क्षेत्र में व्यक्ति की लाठी-डण्डे से पीटकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दिलाई गई आजीवन कारावास व 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2013 में थाना बिसण्डा क्षेत्र अन्तर्गत व्यक्ति की डण्डे से पीटकर हत्या करने वाले 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि दिनांक 29.05.2013 को थाना बिसण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हस्तम के रहने वाले 1-दद्दू उर्फ रामखेलावन पुत्र चुन्नु व 2- रमाकान्त उर्फ लाला पुत्र दद्दू द्वारा लाठी डण्डे से पीटकर गांव के ही एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी जिसके सम्बन्ध में मृतक के पुत्र बिन्दा प्रसाद की तहरीर पर थाना बिसण्डा में मु0अ0सं0 95/13 धारा 323/504/302/34 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी थाना बिसण्डा श्री पंकज कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए अभियुक्तों को दिनांक 12.06.2013 को गिरफ्तार किया गया तथा दिनांक 07.08.2013 आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था। लोक अभियोजक श्री जय प्रकाश साहू द्वारा मा0 न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी निशा पटेल तथा पैरोकार आरक्षी राजन अग्निहोत्री के अथक प्रयासों से दोनो अभियुक्तो को मा0 न्यायालय बांदा द्वारा आजीवन कारावास व 26 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

अभियुक्त-

1. **दद्दू उर्फ रामखेलावन पुत्र चुन्नु निवासी हस्तम थाना बिसण्डा जनपद बांदा।**
2. **रमाकान्त उर्फ लाला पुत्र दद्दू निवासी हस्तम थाना बिसण्डा जनपद बांदा।**

अभियोजक
श्री जय प्रकाश साहू

विवेचक
नि0 श्री पंकज कुमार

कोर्ट मोहर्रिर
म0आ0 निशा पटेल

पैरोकार
आ0 राजन